संख्या- 70 /2023/3045/चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय-जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3034/सं0नि0-6(161)/2022-23, दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 1838.48 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की लागत रू0 1303.47 लाख आंकलित/मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1303.47 लाख (रूपये तेरह करोड़ तीन लाख सैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त कार्य हेतु सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित लागत रू0 18.00 लाख अनुमन्य किया गया है। प्रभाग का मत है कि विस्तृत आगणन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जाय।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव में 2940 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 9.58 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, आगणन प्रस्ताव में जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की मिट्टी भराई संबंधित रिपोर्ट एवं मिट्टी भराई से संबंधित कार्य स्थल की थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभाग द्वारा एकमुश्त धनराशि रू0 2.50 लाख अनुमन्य किया गया है।

(7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(8) प्रायोजनान्तर्गत आडीयो बिजुअल, इग्जीविशन एवं डिजीटल इन्टरवेन्शन मद में प्रस्तावित कार्य (लागत 328.36 लाख), साइनेज मद के अन्तर्गत लोगो, स्कल्पचर, आइकॉन (27.29 लाख) आदि वाटआउट श्रेणी के कार्य हैं। प्रभाग द्वारा इन मदों की लागत को आंकलित लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: इनका क्रय वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत म्यूरल, वालपैनलिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, रेड स्टोन पाथवे, ग्रेनाइट कोबल पाथवे, फाल्स सीलिंग, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, स्टोन जाली, स्टोन क्लैडिंग, ग्लास मोजेक टाइल्स एवं साइनेज मद के अन्तर्गत लोगो, स्कल्पचर एवं आइकॉन एवं फाउन्टेन कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य विशिष्टियों से भिन्न उच्च श्रेणी के कार्य हैं। इन कार्यो पर इन्डीक्रेटिव दरें प्रयुक्त की गयी है। अत: इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(11) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-12-महर्षि बाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:ई-7-318/दस-2022-23, दिनांक 14 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 70 /2023 / 3045 (1) /चार-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इकाई-13, एम0आई0जी-67, इन्दिरानगर (पावर हाउस के पास) बांदा-21001
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in